

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

क्रमांक: पी.सी./ए.सी.क्यू 78/डी-37

दिनांक 16/3/18

श्रीमति वंदना कुमारी द्वारा पूछे गये अता. प्रश्न संख्या 78 के उत्तर निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	रद्द किए गए फ्लेट्स की डीयूएसआईबी की क्या नीति है?	प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि किन फ्लेट्स की जानकारी मांगी गई है।
ख	डीयूएसआईबी की मैरिज चंक/पार्किंग साइट्स के आवंटन की नीति क्या है और ऐसी साइट्स की बुकिंग से प्राप्त राशि का विवरण क्या है?	अस्थाई आवंटन के लिए बोर्ड प्रमुख समाचार पत्रों हिन्दी एवं अंग्रेजी में विज्ञापन जारी करता है और ई-टेंडर द्वारा अधिकतम बोली दाता को आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि निम्न प्रकार है- 1. मैरिज चंक (5) - ₹0 8,77,00,000/- प्रतिवर्ष 2. पार्किंग साइट्स (4)-₹0 1,34,69,280/- प्रतिवर्ष
ग	डीयूएसआईबी के श्रेणीवार कितने स्टॉफ क्वार्टर्स हैं और कितने स्टॉफ क्वार्टर्स खाली हैं और कब से, और	डीयूएसआईबी में कुल स्टॉफ क्वार्टर्स की संख्या 352 है जिनमें से 213 आवंटित हैं एवं 139 खाली है। 7 वें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् कई स्टॉफ क्वार्टर्स खाली हुए हैं।
घ	डीयूएसआईबी की स्टॉफ क्वार्टर्स आवंटन की नीति क्या है?	स्टॉफ क्वार्टर्स आवंटन करने हेतु एक आवंटन कमेटी का गठन किया गया है। समय-समय पर आवंटन कमेटी प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए बैठक करती है और पात्रता अनुसार आवंटन करती है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी का पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।



उपनिदेशक (संसद प्रकोष्ठ)

उप-सचिव (श. वि.), दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार